संख्या– 1988 / 33–3–2014–03रा0नि0आ0 / 2014

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
पंचायती राज
उ0प्र0, लखनऊ।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक : 14 अगस्त, 2014

विषयः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) का परिसीमन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या–4 / 404 / 2014–4 / 53 / 2014, दिनांक 14 अगस्त, 2014 के संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायतों का परिसीमन तत्समय जनसंख्या के वर्ष 1999 के प्रकाशित आंकडों के आधार पर अंतिम तौर पर वर्ष 2000 में किया गया था, तब से दो बार जनगणना हो जाने के पश्चात अभी तक ग्राम पंचायतों का परिसीमन / पुनर्गठन नहीं किया गया है।

3– प्रदेश के अनेक ग्रामों की जनगणना वर्ष 2011 के प्रकाशित आंकड़े के अनुसार जनसंख्या एक हजार से अधिक होने,बाढ़ आदि कारणों से ग्राम की प्रास्थिति बदल जाने, कई राजस्व ग्रामों में नई जनसंख्या के आने तथा गॉव से जनसंख्या को चले जाने एवं जनगणना 2011 के आंकड़ों में बदली हुई स्थिति के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतःउपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत ओर जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) का परिसीमन किये जाने विषयक शासन के पत्र संख्या–1377 / 33–3–2014–03रा0नि0आ0 / 2014, दिनांक 17 जुलाई, 2014 को तात्कालिक प्रभाव से स्थगित करते हुए पंचायत क्षेत्र के गठन के संबंध में उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की

धारा–11 (च) में अंकित प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायतों के परिसीमन/पुनर्गठन के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से संबंधित जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उ0प्र0
3. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पंचायत),उत्तर प्रदेश।
5. सचिव ,राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,उ0प्र0 को विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

14.8.14

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
अनु सचिव।